<u>दिनांक 16.11.2022</u>

प्रार्थी / अभियुक्त श्री वतन पांचाल की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री टीका प्रसाद उपाध्याय उपस्थित। मेमो आफ ऐपीयरेन्स प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दोषी होने के अभिवचन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 181, 192, 196 तथा 185 मोटर वाहन अधिनियम चालान प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा वाहन का डीएल, आरसी तथा बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिस कारण अभियुक्त को अंतर्गत धारा 181, 192, 196 मोटर वाहन अधिनियम मे दण्डित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। दोषी होने के अभिवचन प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 185 रू0 10,000 (दस हजार रूपये) जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना अदा करने में व्यतिकम करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।